



टेलीफैक्स- 0135-2522941

ई-मेल - bridcul@gmail.com
CIN No - U45203UR2008SGC03259

BRIDCUL (ब्रिडकुल)

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001

Ref: ~~738~~/BRIDCUL-~~607~~ /19

Dated: 02 /05 /2019

CORRIGENDUM/ADDENDUM-4

Refer to advertisement Ref: 231/BRIDCUL-~~607~~/18-19 Dated:13/02/2019 and Corrigendum Ref No. 474/BRIDCUL-607/19 Dated 19.03.2019 and 612/BRIDCUL-607/19 Dated 05.04.2019 for the Expression of Interest (EOI) "For undertaking the project of development & operation of bus stands for Uttarakhand Transport Corporation on PPP mode at various locations in Uttarakhand on long term basis." which was published in newspaper on 13.02.2019. The following amendment is being made in the tender documents.

Sr. No	Clause Reference	As per Original EOI document/ Corrigendum		New Corrigendum/Addendum	
		S.No.	Pre-qualification Criteria	S.No.	Pre-qualification Criteria
3.	Page No. 6, Sr. No. 10 Qualification Criteria	4	The Bidder should have a minimum annual turnover of Rs 20 Crore in each of the last 3 consecutive Financial Years (FY 2015-16, 2016-17 & 2017-18) for applying for each bus stand	4	The Bidder should have a minimum Eligibility Criteria as per the clause no. 12 (ख) एव (ग) of Chapter-6 of the procurement Rule 2017. Govt. of Uttarakhand.(Annexure Attached)
		5	The Bidder having experience of successfully executing projects on PPP mode will be given preference	5	The Bidder having experience of successfully executing projects on PPP mode of amount 25% of the proposed estimated cost or in civil work of amount of 35% of the estimated project cost.
4.		Ref: 667/BRIDCUL-607/19 Dated 22/04/2019 Last Date of submission and opening of proposal is extended upto 07.05.2019 till 03:00 PM and 3:30 PM respectively		Last Date of submission and opening of proposal is extended upto 24.05.2019 till 03:00 PM and 3:30 PM respectively	

Changes, if any, will be intimated only through our website www.bridcul.com.


General Manager (C)

(12) मूल्यांकन के मानदण्ड:-

बोली लगाने वालों के लघुसूचीकरण के लिए मानदण्डों को तकनीकी और वित्तीय प्रतिमानों में विभाजित किया जाए जिनका यहां उल्लेख किया गया है:-

(क) तकनीकी क्षमता:-

आवेदक को अवरथापना परियोजनाओं के निर्माण कार्य का पर्याप्त अनुभव और क्षमता प्राप्त हो। इसका माप, आवेदन की तिथि के पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा किए गए/संचालन प्रारम्भ (कमीशन) किए गए निर्माण कार्यों या निर्माण संचालन हस्तांतरण बीओटीओ/निर्माण, स्वामित्व, संचालन हस्तांतरण (बीओओटीओ) से राजस्व प्राप्ति या दोनों से मालूम किया जा सकेगा। परिचालन और अनुरक्षण (ओओएण्डओएमओ) के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में भी पात्रता शर्तों, जैसा आवश्यक हो, भी नियत की जा सकेगी। निविदादाताओं की तकनीकी क्षमता को निम्नांकित मानदण्डों से अवधारित किया जा सकेगा:-

(एक) परियोजना/निर्माण का अनुभव:-

आवेदक की तकनीकी क्षमता के अवधारण हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में योग्य परियोजनाओं या अन्य केन्द्रीय (कोर) क्षेत्रों के अनुभव पर विचार किया जाय।

(दो) परिचालन एवं अनुरक्षण का अनुभव:-

आवेदक को विनिर्दिष्ट क्षेत्र की परियोजनाओं के परिचालन और अनुरक्षण में पांच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। ऐसे अनुभव के अभाव में, आवेदक से किसी ऐसे व्यक्ति/संस्थान/संस्था/संगठन के साथ परिचालन और अनुरक्षण अनुबंध करने की अपेक्षा की जा सकती है, जिसे समकक्ष अनुभव हो अन्यथा रियायत अनुबंध (कन्सेशन एग्रीमेन्ट) समाप्त किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का सुझाव देते समय पृथक-पृथक क्षेत्रों/परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुकूलन/संशोधन हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाय।

(ख) वित्तीय क्षमता:-

आवेदक के पास उस परियोजना की, जिस के लिए बोलियां आमंत्रित की जानी हैं, अनुमानित लागत के कम से कम 25 प्रतिशत के समतुल्य शुद्ध मूल सम्पत्ति (नेट वर्थ) होनी चाहिए। रुपये 500,00,00,000 (रु० पांच सौ करोड़) या उससे अधिक अनुमानित लागत की परियोजनाओं के मामले में, अपेक्षित शुद्ध मूल्य सम्पत्ति की आवश्यकता को समुचित रूप से कम, किंतु 15 प्रतिशत से अन्यून नहीं किया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पूर्व अर्हता प्राप्त आवेदक के पास परियोजना का उत्तरदायित्व लेने के लिए पर्याप्त वित्तीय सामर्थ्य है।

(ग) पात्रता हेतु अनुभव:-

किसी समूह (कन्सोरटियम) के सदस्य के पास, जो अर्हता हेतु अनुरोध के स्तर पर अनुभव या शुद्ध मूल्य रखने का दावा करे, समूह के न्यूनतम 26 प्रतिशत अंश होने चाहिए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि केवल उन सदस्यों का अनुभव सुनिश्चित हो जिनका पर्याप्त हित दांव पर लगा हो, और कम अंशधारक सदस्यों को केवल पूर्व अर्हता में श्रेणीकरण के